उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या- 5 /2016/ 115 /38-1-2016&10 टी0आर0/2013टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

तात्कालिक प्रभाव से श्रीमती रागिनी सक्सेना, खण्ड विकास अधिकारी, मुरादाबाद को स्थानान्तरित करते हुए जनपद बदायूँ में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उमा कान्त मिश्र

उप सचिव

<u>संख्या- 5 /2016/115(1)/38-1-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद/बदायूँ।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, मुरादाबाद/बदायूँ ।
(5) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।